अध्याय-6 कार्य विन्यास तथा कार्य-सूची.

21. सभा नेता से परामर्श करने के बाद अध्यक्ष शासकीय कार्य और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य संपादन के लिये उतने दिन नियत करेगा जितने कि आवश्यक हों. **कार्य-विन्यास.**

22. शासकीय कार्य के सम्पादन के लिये नियत किये गये दिनों में उस कार्य को पूर्ववर्तिता मिलेगी और सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम से करेगा जैसा कि अध्यक्ष सभा नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करे : **कार्य का क्रम.**

परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटारे के लिये रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक कि अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार हैं :

परन्तु यह और भी कि जो शासकीय कार्य दिन के अन्त में चर्चाधीन हो वह उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अगले दिन के लिये रखा जायेगा और उस दिन के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता मिलेगी जब तक कि अध्यक्ष पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन अथवा अन्य प्रकार से अन्य निदेश न दे.

23. शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य सम्पादन के लिये नियत किये जायेंगे : **गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय का नियतन.**

परन्तु अध्यक्ष ऐसे कार्य के भिन्न-भिन्न वर्गों के निपटारे के लिये भिन्न-भिन्न शुक्रवार नियत कर सकेगा और किसी वर्ग विशेष के कार्य के लिये इस प्रकार नियत शुक्रवारों को उस वर्ग के कार्य के लिये पूर्ववर्तिता मिलेगी :

परन्तु यह भी कि अध्यक्ष सभा नेता के परामर्श से गैर-सरकारी सदस्यों के ऐसे कार्य के सम्पादन के लिये शुक्रवार के अतिरिक्त कोई और दिन भी नियत कर सकेगा :

परन्तु यह और भी कि यदि शुक्रवार को सभा की बैठक न हो तो अध्यक्ष यह निर्देश दे सकेगा कि गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये सप्ताह में किसी अन्य दिन ढाई घन्टे नियत कर दिये जायें.

24. (1) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को निपटाने के लिये नियत किये गये दिन ऐसे विधेयकों को निम्नलिखित क्रम में सापेक्ष पूर्ववर्तिता मिलेगी, अर्थात् :- **गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की पूर्ववर्तिता.**

(क) वे विधेयक जिनके संबंध में प्रस्ताव यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये;

(ख) वे विधेयक जो राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 या 201 के अधीन संदेश के साथ लौटाये गये हों;

(ग) वे विधेयक जिनके संबंध में यह प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका हो कि विधेयक पर विचार किया जाये;

(घ) वे विधेयक जिनके संबंध में किसी प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित किया जा चुका हो;

(ड.) वे विधेयक जो राय जानने के लिये परिचालित किये गये हों;

(च) वे विधेयक जो पुरःस्थापित किये गये हों और जिनके संबंध में कोई अग्रेतर प्रस्ताव न किया गया हो अथवा स्वीकृत न हुआ हो;

(छ) अन्य विधेयक.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (क) को छोड़कर एक ही खण्ड के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा तथा ऐसे दिन और ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे निर्धारित की जावेगी :

परन्तु उपनियम (1) के खण्ड (च) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों का विन्यास उनके पुरःस्थापन की तिथि के क्रमांक के अनुसार समय में किया जायेगा और (ख) से (छ) इनमें से प्रत्येक समूह के अन्तर्गत सापेक्ष पूर्ववर्तिता शलाका द्वारा निर्धारित की जावेगी :

परन्तु यह और भी कि उपनियम (1) के खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले विधेयकों के संबंध में प्रस्ताव कार्यसूची में उस क्रम में दर्ज किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हों.

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की पूर्ववर्तिता.

25. उन संकल्पों की सापेक्ष पूर्ववर्तिता जिनकी सूचनायें गैर-सरकारी सदस्यों ने दी हों अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जायेंगी.

दिन के अन्त में अवशिष्ट कार्य.

26. गैर-सरकारी सदस्यों का वह समस्त कार्य जो किसी दिन के लिये नियत किया गया है और उस दिन न निबट सका हो उसी सत्र में उस वर्ग के कार्य के लिये जिसके अन्तर्गत वह आता हो उपलब्ध होने वाले अगले दिन पर्यन्त या उस सत्र के ऐसे अन्य दिन पर्यन्त, जो इस प्रकार उपलब्ध हो, रख दिया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश दे :

परन्तु ऐसा कार्य, जो उस दिन के अन्त में चर्चाधीन हो, उस वर्ग के कार्य के लिये नियत अगले दिन के लिये रख दिया जायेगा और उसे उस दिन के लिये रखे गये अन्य सब कार्यों पर पूर्ववर्तिता मिलेगी.

कार्य-सूची.

27. (1) सचिव प्रत्येक दिन के लिये एक कार्य-सूची तैयार करेगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिये उपलब्ध कराई जायेगी.

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित न हो.

(3) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर, कोई कार्य जिसके लिये सूचना अपेक्षित हो, अध्यक्ष की अनुमति के बिना उस कार्य के वर्ग के लिये अपेक्षित सूचना की कालावधि समाप्त होने के बाद वाले दिन से पूर्व किसी दिन के लिये नहीं रखा जायेगा.

(4) नियम 26 के परन्तुक के अधीन अवशिष्ट गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों को छोड़कर किसी भी दिन की कार्य-सूची में तीन अथवा अध्यक्ष की अनुमति से तीन से अधिक किन्तु पांच से अनाधिक संकल्प सम्मिलित किये जायेंगे.